संख्या- 4/2018/473/22-1-2018-57/2017

प्रेषक

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 19 अप्रैल, 2018

विषय- कारागार विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु कार्मिक विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2018 के कतिपय उपबन्धों पर निम्नानुसार परिवर्तन/विचलन का निर्णय लिया गया हैः-

(1)

क्रसं0	शासनादेश दिनांक 29.03.2018 की व्यवस्था	विचलन/परिवर्तन
1	2	3
1	प्रस्तर-7 की व्यवस्थानुसार समूह-ख के कार्मिकों का स्थानान्तरण सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जा सकते हैं।	कारागारों के अधीक्षक संवर्ग (समूह-ख) के कार्मिकों का स्थानान्तरण शासन द्वारा किया जाएगा।
2	प्रस्तर-11(ग) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह-ग के कार्मिकों उनके गृह जनपद एवं समूह-क एवं ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात किया जा सकता है।	समूह-क, ख एवं ग संवर्ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं सीमावर्ती जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात किया जा सकता है।

-------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) विभिन्न समूह के कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने का सक्षम स्तर निम्नवत् होगाः-

क्रस0	पदनाम	स्थानान्तरण सत्र के दौरान	स्थानान्तरण सत्र के बाद
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी-I, श्रेणी-II एवं अधीक्षक	शासन	शासन
2-	कारापाल, उप कारापाल, लिपिक संवर्ग, फार्मासिस्ट एवं समूह-ग के, बंदीरक्षक संवर्ग से इतर, अन्य पद।	अपर विभागाध्यक्ष (महानिरीक्षक कारागार)	शासन
3.	बंदीरक्षक संवर्ग	परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार (अपने क्षेत्राधिकार के परिक्षेत्र के भीतर, किन्तु यदि तैनाती परिक्षेत्र के बाहर किया जाना हो, तो महानिरीक्षक कारागार)	अपर विभागाध्यक्ष (महानिरीक्षक कारागार)
4.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार (अपने क्षेत्राधिकार के परिक्षेत्र के भीतर, किन्तु यदि तैनाती परिक्षेत्र के बाहर किया जाना हो, तो महानिरीक्षक कारागार)	अपर विभागाध्यक्ष (महानिरीक्षक कारागार)

(3) कारागारों के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष जेल वार्डर/जेल हेड वार्डर/पैरामेडिकल स्टाफ तथा फार्मासिस्ट की एक कारागार में तैनाती की अधिकतम अवधि 07 वर्ष होगी।

3- कृपया कारागार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। कार्मिक विभाग के स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29.03.2018 की अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत लागू होंगे।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4/2018/473/(1)/22-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर महानिरीक्षक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
3. अपर महानिरीक्षक, डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार।
5. कार्मिक अनुभाग-4
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in